LC

तत्काल

L.C. (Busy)
PA to LC
1-2-19

क्रमांक 1/35/2018–1पी0पी0

Office of LC
No. 2168
Date 1/2/19

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
सूचना, जन सम्पर्क एंव भाषा विभाग हरियाणा,
चण्डीगढ।

ALC (A) (O/L)
1-2-19

सेवा में,

1. सचिव, सूचना एवं प्रसारण विभाग, भारत सरकार, कमरा न0 655, ए विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001
2. मुख्य सचिव, सभी राज्य
3. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष,
   आयुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा गुडगॉव मण्डल,
   सभी उपायुक्त व उपमण्डल अधिकारी (सिविल)

दिनांक चण्डीगढ 30.01.2019

विषयः– **सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा में प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त निदेशक (तकनीकी) का पद भरने हेतु।**

....

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, सभी राज्यों व हरियाणा राज्य के अन्य कार्यालयों से अनुभवी तथा कुशल संयुक्त निदेशक (तकनीकी) को सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा में संयुक्त निदेशक (तकनीकी) के रिक्त पद के विरूद्ध प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे सभी संयुक्त निदेशक (तकनीकी), जो नियमित आधार पर कार्य कर रहे हों और जो निम्नलिखित निर्धारित योग्यताऐं पूर्ण करते हों, वे सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा में संयुक्त निदेशक (तकनीकी) के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं :–

Sr. NO.	Post	Academic qualifications and experience, if any for direct recruitment/transfer
1.	Joint Director (Technical)	I) Degree in Electronics or Electrical or Mechanical Engineering or Sound or Automobile Engineering from a recognized university. II) Five Years experience in any of the disciples mentioned in (I) above. III) Adequate knowledge of Hindi.

आपसे अनुरोध है कि आप सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा में संयुक्त निदेशक (तकनीकी) के पद पर नियुक्ति के लिये अपने अधीन कार्य कर रहे इच्छुक कर्मचारियों के नामों की सिफारिश करें जो उक्त शर्तों को पूरा करते हों । कर्मचारियों का

निम्नलिखित ब्यौरा देते हुए दिनांक 15.02.2019 तक उनके आवेदन–पत्र तथा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की सत्यापित समरी भेजने की कृपा करें :–

नाम	सेवा अवधि	अस्थाई अथवा स्थाई	शैक्षणिक योग्यताएँ (प्रमाण सहित)	नियमित नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5

नोटः–जिन कर्मचारियों की योग्यताएँ पूरी न हों तथा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का समूचा रिकार्ड अच्छे स्तर का न हो, उनके नामों की सिफारिश न की जाये।
दिनांक 15.02.2019 के बाद प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार नही किया जाएगा।

भवदीय

अधीक्षक, प्रचार शाखा
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग।
30.1.19